समाहरणालय दरभंगा
(जिला योजना कार्यालय)

निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–5043 दिनांक 07.09.2016 के आलोक में कादिराबाद, दरभंगा (पोलिटेकनिक परिसर) में निर्मित जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरभंगा के भवन की साफ–सफाई बाहय स्त्रोतों से कराने के निमित्त इच्छुक संस्थाओं/फर्मों के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 02.08.2021 के अपराह्न 3.00 बजे तक जिला योजना कार्यालय दरभंगा में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन जिला पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में अपराह्न 5.00 बजे जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें –

1. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग सील लिफाफे में प्राप्त किया जायेगा।
2. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है :–
   (क) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा के पदनाम से निर्गत 20,000=00 (बीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर/नाजिर रसीद।
   (ख) संस्था/फर्म का श्रम संसाधन विभाग से निर्गत निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
   (ग) पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 निबंधन की छायाप्रति।
   (घ) सरकारी/निजी संस्थानों में विज्ञापित सेवायें संबंधी कार्य करने का तीन (03) वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।
   (ङ) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दिवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं इसे सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र।
   (च) संस्था को पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 2021 में निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
   (छ) संस्था को अद्यतन 01 वर्ष के filed GST return की प्रति उपलब्ध कराना होगी।
3. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, दरभंगा के आंतरिक एवं बाहय परिसर के संपूर्ण सफाई तथा रख–रखाव की व्यवस्था के लिए संस्था को सतह (carpet area) की प्रति वर्ग फीट की दर से प्रति माह के लिए दर अंकित करना होगा। दीवार, छत, फर्नीचर इत्यादि की सफाई को carpet area के अन्तर्गत ही माना जायेगा। केन्द्र के शौचालय/पानी की टंकी/उपस्कर आदि की समय–समय पर साफ–सफाई भी इसमें शामिल रहेगी।
5. केन्द्र की सफाई प्रतिदिन करने हेतु पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी एवं सफाई सामग्रियों की व्यवस्था संस्था द्वारा की जायेगी। किसी कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर अन्य सुरक्षित कर्मी की व्यवस्था तुरंत करनी होगी।
6. सफाई कर्मी के ड्रेस एवं पहचान पत्र आदि तैयार किये जानें में व्यय राशि संस्था को स्वयं वहन करना होगा।

7. केन्द्र के आंतरिक भाग एवं शौचालय की सफाई एक से अधिक बार कराई जा सकती है फलस्वरूप कार्यालय अवधि में कुछ सुरक्षित कर्मी का होना अनिवार्य रहेगा। इस हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. संस्था को किसी प्रकार के परिवहन व्यय एवं अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. विपत्र में आवश्यक करों की कटौती करने के उपरांत भुगतेय राशि का भुगतान किया जायेगा।
10. निविदा के शर्तों के अनुरूप संस्था के साथ एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जायेगा। कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में अवधि विस्तार किया जायेगा। अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में अनुबंध रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य संस्था से कार्य कराने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
11. कार्यादेश निर्गत होने के पन्द्रह दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा।
12. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
13. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, दरभंगा होगा।

उपर्युक्त सूचना दरभंगा जिला के वेबसाईट http://www.darbhanga.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है। अन्य जानकारी हेतु जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा से किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

जिला पदाधिकारी,
दरभंगा।